सं0 सं0 14/एम 11–9/2013
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाये,
बिहार, पटना।

प्रेषक,

निबंधित

डा0 राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अपर स्थानिक आयुक्त,
बिहार भवन, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक

विषयः–**बिहार राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हो को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु ''मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष''से अनुदान के लिए राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0 42(14) दिनांक 19.1.2007 के प्रसंग में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0 2353(14) दिनांक 12.9.2008 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं संकल्प सं0–752(14) दिनांक 26.06.15 द्वारा राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है को असाध्य रोगो की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्वीकृति हेतु उपरोक्त संकल्प सं0 42(14) दिनांक 19.1.2007 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए उक्त कोटि के नागरिकों को चिकित्सा हेतु अनुदान की स्वीकृति या चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु औपबंधिक रूप से आपको भी अधिकृत किया गया है। उक्त प्रयोजनार्थ पुनः आपके मांग के आलोक में **रू0 2,00,00,000/– (दो करोड़)** मात्र आवंटित किया जाता है। उक्त आवंटित राशि क्रास चेक संख्या 909239 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, अशोका होटल, नई दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर बिहार भवन, नई दिल्ली के खाता सं0–3004733012 आर0टी0जी0एस0 कोड–CBIN 0280298 में स्थानांतरित की जा रही है।

2 अँकेक्षण हेतु विभागीय पत्रांक 1195(14) दिनांक 28.10.14 द्वारा यह अपेक्षा की गयी थी कि BTC-42 A विहित प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ को अंकित करते हुए प्रमाणकों एवं व्यय प्रमाण पत्र सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र भेजा जाय। परन्तु आपने मात्र व्यय राशि की सूची ही उपलब्ध कराई है। **अतः पूर्व में आवंटित संपूर्ण राशि की विवरणी पत्रांक 1195 (14) दिनांक 28.10.14 के अनुसार BTC-42 A विहित प्रपत्र में सभी प्रमाणकों एवं व्यय प्रमाण पत्र सहित अविलंब भेजना सुनिश्चित किया जाय।** सूची के सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर किया जाय।तत् पश्चात् पुनः आवंटन देने पर विचार किया जायेगा।

पी.टी.ओ.

3 विभागीय संकल्प सं0 42(14) दिनांक 19.1.07 में दिये गये निर्देशो का दृढ़ता से पालन करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जायगा।

4 राशि व्यय होने के पश्चात संलग्न प्रपत्र में व्यय की विस्तृत विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग किये जाने पर ही अतिरिक्त राशि पुनः दी जायगी।

5 यदि किसी परिस्थिति वश कोई/अन्तर्वासी मरीज यदि आवश्यक कागजातों सहित अनुदान की स्वीकृति का अनुरोध करता है तो उन्हे चिकित्सा सहायता हेतु अनुदान की औपबंधिक स्वीकृति देने का निर्णय लेने के लिए आप सक्षम होगे।

6 इसमें मान्नीय मंत्री स्वास्थ्य/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–

अनु0–यथोक्त

(डा0 राजधारी रंजन)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 962(14) पटना, दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं शाखा–8 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ लेखा शाखा स्वास्थ्य विभाग,(दो प्रतियों में) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

निदेशक प्रमुख

D:\Anasri jee\Allotment.doc